विज्ञापन संख्या (02 / डी0आर0 / सेवा–1 / 2012–13)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

आयोग भवन, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

दूरभाष : 01334–244143

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 08 मार्च, 2013

विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि – 08 फरवरी, 2013

उत्तराखण्ड शासन के **आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विषयों हेतु प्रवक्ता, ऋषिकुल / गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार, प्रबंधक स्टेट फार्मेसी, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी तथा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 के पदों हेतु** निम्नानुसार भारतीय नागरिकों से इस विज्ञापन के अन्त में मुद्रित फार्मेट (आवेदन पत्र का प्रारुप) पर मोटे फुलस्केप कागज पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट / बढ़ सकती हैं। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विभाग संख्या का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।** एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरकर पृथक–पृथक लिफाफो में रखकर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

अवश्य पढ़े एवं तद्नुसार कार्यवाही करें :–

1. अभ्यर्थी अपने उर्ध्व / क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के **कॉलम–10** में अवश्य करें। आवेदन पत्र पर आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका संख्याः 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा एस.एल.पी.(सिविल) नं0(एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

2. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 08 मार्च, 2013 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं वांछित अनुभव अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं वांछित अनुभव से सम्बन्धित समस्त सेमेस्टर / वर्षों के अंक पत्र / प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां अवश्य संलग्न करें अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

3. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

4. पृथक–पृथक पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

5. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / वांछित अनुभव / आरक्षण संबंधी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

6. आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त पद हेतु अपेक्षित अर्हताएं, आरक्षण श्रेणी / उप श्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. जिन पदों हेतु अनुभव अर्हता मांगी गई है, उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र वांछित अर्हता के अनुसार ही प्रस्तुत करें। पद की अर्हता के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट–02** में उपलब्ध प्रारूप पर ही प्रस्तुत करें। उक्त प्रारूप से इतर प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

01. प्रवक्ता (आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग)

(I) विभाग संख्या – **सेवा – 01 / 01**

(II) पदों की संख्या – 23 पद (जिनमें 13 पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)। पदों से सम्बन्धित आरक्षण का विवरण निम्नवत है :–

क्रम सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद
01.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	02	अनुसूचित जाति –01 सामान्य–01
02.	रचना शरीर	01	अनुसूचित जाति–01

03.	क्रिया शरीर	01	अनुसूचित जाति–01
04.	रोग निदान	01	अनुसूचित जाति–01
05.	द्रव्य गुण	02	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–01
06.	स्वस्थ्य वृत	02	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–01
07.	अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	01	अनुसूचित जाति–01
08.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	03	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–02
09.	कौमारभृत्य	01	अनुसूचित जाति–01
10.	काय चिकित्सा	02	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–01
11.	शालाक्य तंत्र	03	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–02
12.	शल्य तंत्र	02	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–01
13.	पंचकर्म	02	अनुसूचित जाति–01 सामान्य–01
	योग	**23**	**अनुसूचित जाति–13** **सामान्य–10**

(III) वेतनमान – ₹ 15600–39100, वेतन बैण्ड–3 (ग्रेड वेतन ₹ 6600/–)

(IV) आयुसीमा – 25 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को शासनादेशों के अनुसार आयु में छूट अनुमन्य।

(V) पद का स्वरूप – राजपत्रित/स्थायी/पेंशन शासकीय नियमानुसार।

(VI) अपेक्षित अर्हताएं–

(अ) **अनिवार्य :–**

- **(क)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पांच वर्ष की उपाधि।
- **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- **(ग)** हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान।

(ब) अधिमानी :– सम्बन्धित विषय में शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन।

(VII) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

- **(1)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- **(2)** राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) का 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र, या
- **(3)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

02. प्रवक्ता (आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग)

(I) विभाग संख्या – **सेवा –01/02**

(II) पदों की संख्या – 06 पद। पदों से सम्बन्धित आरक्षण का विवरण निम्नवत है :–

क्रम सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद
01.	एनेस्थीसिया (संज्ञाहरण)	02	अनुसूचित जाति –01 सामान्य–01
02.	रेडियोलॉजी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)	02	अनुसूचित जाति –01 सामान्य–01
03.	पैथोलॉजी (विकृति विज्ञान)	02	अनुसूचित जाति –01 सामान्य–01
	योग	**06**	**अनुसूचित जाति–03** **सामान्य–03**

(III) आयुसीमा – 25 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को शासनादेशों के अनुसार आयु में छूट अनुमन्य।

(IV) वेतनमान – ₹ 15600–39100, वेतन बैण्ड–3 (ग्रेड पे ₹ 5400/–)

(V) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अस्थायी। भविष्य में चलते रहने की सम्भावना/पेंशन शासकीय नियमानुसार।

(VI) अपेक्षित अर्हताएं–

(अ) अनिवार्य :–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पांच वर्ष की उपाधि।

(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान।

(ब) अधिमानी :– सम्बन्धित विषय में शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन।

(VII) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) का 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र, या

(3) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

03. प्रबंधक, स्टेट फार्मेसी (आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग)

(I) विभाग संख्या – **सेवा –01/03**

(II) पदों की संख्या – 01 पद (सामान्य)

(III) आयुसीमा – 21 से 35 वर्ष (उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना पत्र संख्या 1222/XXX(2)/2012 55(41)2004, दिनॉक 10 दिसम्बर, 2012 के अनुसार उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष)। आरक्षित वर्ग को शासनादेशों के अनुसार आयु में छूट अनुमन्य।

(IV) वेतनमान – ₹ 15600–39100, वेतन बैण्ड–3 (ग्रेड पे ₹ 5400/–)

(V) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अस्थायी। भविष्य में चलते रहने की संभावना/पेंशन शासकीय नियमानुसार।

(VI) अपेक्षित अर्हताएं–

अनिवार्य :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में उपाधि।

या

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रुप में पंजीकरण और

(ग) राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी या ऐैलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 06 मास का व्यवसायिक अनुभव या एक वर्ष का इन्टर्नशिप।

(VII) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

04. होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग)

(I) विभाग संख्या – **सेवा –01/04**

(II) पदों की संख्या – 22 पद (बैकलॉग सहित)। पदों से सम्बन्धित आरक्षण का विवरण निम्नवत है :–

क्षैतिज आरक्षण का विवरण	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%
	कुल पद – 13	कुल पद – 09
महिला 30%	04	03
विकलांग 03%	00	00
भूतपूर्व सैनिक 05%	01	00
स्व0संग्राम सेनानी आश्रित 02%	00	00
उत्तराखण्ड आंदोलनकारी 10%	01	01
कुशल खिलाड़ी 04%	00	00
क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त	07	05

(III) आयुसीमा – 21 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को शासनादेशों के अनुसार आयु में छूट अनुमन्य।

(IV) वेतनमान – ₹ 15600–39100, (ग्रेड पे ₹ 5400/–)

(V) पद का स्वरूप – राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(VI) अपेक्षित अर्हताएं–

अनिवार्य :–

(क) बी0एच0एम0एस0 डिग्री, जिसके पाठ्यक्रम के पठन अवधि साढ़े चार वर्ष एवं एक वर्ष की अनिवार्य इन्टर्नशिप।

(ख) परन्तु एम0डी0 (परास्नातकों) धारकों को अधिमान दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखण्ड से **स्थाई रुप से पंजीकृत** होना चाहिए।

(VII) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

05. पशु चिकित्साधिकारी (पशुपालन अनुभाग)

(I) विभाग संख्या – **सेवा –01/05**

(II) पदों की संख्या – 120 पद। पदों से सम्बन्धित आरक्षण का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	श्रेणी	श्रेणी में कुल पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण					
			महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 05%	स्व0सं0से0 के आश्रित 02%	विकलांग 03%	उत्तराखण्ड आंदोलनकारी 10%	कुशल खिलाड़ी 04%
1	सामान्य	68	20	03	01	02 (01 पद आंशिक दृष्टिहीन एवं 01 पद श्रवणह्रास हेतु)	07	03
2	अनुसूचित जाति	34 (बैकलॉग सहित)	10	02	01	01 (चलन क्रिया या प्रमस्तिष्कीय अंघात हेतु)	03	01
3	अनुसूचित जनजाति	06 (बैकलॉग सहित)	02	00	00	00	01	00
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	12 (बैकलॉग सहित)	04	01	00	00	01	00
योग		**120**	**36**	**06**	**02**	**03**	**12**	**04**

(III) आयुसीमा – 21 से 35 वर्ष (उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना पत्र संख्या 1222/XXX(2)/2012 55(41)2004, दिनॉक 10 दिसम्बर, 2012 के अनुसार उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष)। आरक्षित वर्ग को शासनादेशों के अनुसार आयु में छूट अनुमन्य।

(IV) वेतनमान – ₹ 15600–39100, (ग्रेड पे ₹ 5400/–)

(V) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त/अस्थाई है तथा भविष्य में चलते रहने की संभावना।

(VI) अपेक्षित अर्हताएं–

अनिवार्य :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984 (अधिनियम सं0 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशुचिकित्सा अर्हता।

(ख) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् में सम्यक् रुप से पंजीकृत हो।

(VII) अधिमानी :– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि या उच्च अर्हता प्राप्त की हो।

–: <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश</u> :–

01. अन्तिम तिथि अर्थात् **08 मार्च, 2013** के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

02. **<u>राष्ट्रीयता–</u>** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो। परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

03. **<u>वैवाहिक प्रास्थिति</u>** :–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवत हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनको यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

04. **<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट</u>** :– उत्तराखण्ड की विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयुसीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयुसीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट देखें।

<u>टिप्पणी</u> :– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 196/XVII-2/2011–29(स0क0)/2003, दिनांक 25 मार्च, 2011 अथवा शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार ही विभाग में विकलांगता हेतु चिन्हांकित पदों के लिए ही आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

05. <u>आरक्षण</u> :–

(1) **<u>आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा तथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। आरक्षण संबंधी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के प्रारुप का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।</u>**

(2) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(3) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

06. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

अभ्यर्थी इस विज्ञापन के **'परिशिष्ट–01'** में निर्दिष्ट परम्परागत आवेदन पत्र को आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड अथवा प्रारूप के अनुसार ही टंकित कराकर आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित **<u>"सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार</u>**

249404'' को किसी भी माध्यम से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर स्वयं भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि **दिनांक 08 मार्च, 2013 को सायं 06:00 बजे तक** आयोग कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। **फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

07. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य होने चाहिये अन्यथा अनुमन्य लाभ/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा :– निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियाँ :–

1. हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिका एवं डिग्री।
3. (क) आवेदित पद हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं एवं वांछित अनुभव की पुष्टि हेतु समस्त अंकपत्र एवं डिग्री/प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र।
   (ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टर आर्डर।
   (ग) फार्मेट पर चिपका हुआ एक स्वसत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
   (घ) आवेदन पत्र के कॉलम 10 में दावित किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न मूल बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संबंधित बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विज्ञापन की तिथि के पश्चात ही जारी किया गया हो अन्यथा शुल्क मान्य नहीं होगा तथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

08. **शुल्क** : प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 130/– है किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ₹ 90/– है। **शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रेषित जो ''सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो''** स्वीकार किया जायेगा। **अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम तथा पता अवश्य लिखें। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संबंधित बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विज्ञापन की तिथि के पश्चात ही जारी किया गया हो।** अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

09. **अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :–**

(1) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या एवं विभाग संख्या अवश्य अंकित हो तथा अभ्यर्थी का पत्राचार का पूरा पता लिखा हो, भेजे जाने चाहिए।

(2) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(3) **विज्ञापन के फलस्वरूप पदवार अधिक आवेदन पत्र आने पर स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जा सकती है जिसके प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।**

(4) **स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्रों की सूचना समाचार पत्रों तथा आयोग के वेबसाईट के माध्यम से अभ्यर्थियों को यथा समय सूचित किया जायेगा।**

(5) सीधी भर्ती साक्षात्कार हेतु कुल पूर्णांक 100 निर्धारित है। जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 35 प्रतिशत निर्धारित है।

(6) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जाँच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहाँ उन्होंने शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अतः वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(9) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(10) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाए कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(11) किसी अनाचार अथवा कदाचार का दोषी पाये जाने पर आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(12) अभ्यर्थी एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्त अभ्यर्थी के आवेदित पद हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(13) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें।

(14) अभ्यर्थी अलग–अलग पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करें।

(15) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(16) अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(17) बिना शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(18) आवेदन पत्र में यथास्थान अभ्यर्थी हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान अवश्य लगायें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(19) **लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन/संचार तंत्र प्रतिबन्धित है।**

(एस0एन0 पाण्डेय)
प्र0सचिव

आवेदन पत्र का प्रारुप

आवेदन शुल्क का विवरण (**मूल बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें**)

बैंक ड्राफ्ट का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैक का नाम स्थान/ जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी
1	2	3	4

1. विभाग संख्या ....
2. पदनाम ....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
   (1) हिन्दी में ....
   (2) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) ....
4. पिता/पति का नाम ....
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

तिथि		माह		वर्ष			

केवल वक्ष तक की एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो (अभिप्रमाणित) यहाँ पर चिपका दें और तिथि सहित अपना हस्ताक्षर भी करें।

नोट : प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें।

6. आयु 01 जुलाई, वर्ष 2013 को

वर्ष		माह		तिथि	

7. क्या आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को आप आवेदित पद के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं ? **हॉ/नहीं**
8. क्या अभ्यर्थी को हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान है ? **हॉ/नहीं**
9. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? **हॉ/नही**
10. यदि "हाँ" तो आरक्षण की जिस श्रेणी का लाभ चाहते हैं, नीचे दिये गये बॉक्स में ✓ का निशान लगाएं (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के दावे की पुष्टि में नवीनतम शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटों प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

☐	☐	☐	☐	☐
उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अनु0जनजाति	उत्तराखण्ड पिछड़ी जाति	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/आश्रित

☐	☐	☐	अन्धापन	बधिर	शारीरिक
उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड विकलांग		

नोट : विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांगता से सम्बन्धित श्रेणी को ही चिन्हित करें।

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) लिखें ....
12. **(क) स्थाई पता –**..
....पिन कोड ....

(ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
....पिन कोड ....

(पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

दूरभाष संख्या ....

13. क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किए गए हैं ? यदि हॉ, तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें ? ....

14. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :–

	बोर्ड / वि0वि0	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत / श्रेणी	संस्था का नाम
(1) हाईस्कूल (2) इण्टरमीडिएट (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर (5) शोध उपाधि (6) अन्य						

15. पद हेतु अनिवार्य अनुभव का विवरण (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन के **'परिशिष्ट–02'** के अनुसार अभ्यर्थी अपना अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें) :–

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी / गैर सरकारी)	अन्य

16.**(i)** क्या अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड वैद्य या हकीम के रुप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत है ? (**केवल प्रबंधक स्टेट फार्मेसी पद हेतु** आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) **हॉ / नहीं**

(ii) क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक सम्यक् रुप से पंजीकृत है ? (**केवल पशुचिकित्साधिकारी पद हेतु** आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) **हॉ / नहीं**

(ii) क्या अभ्यर्थी होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखण्ड में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्थायी रुप से पंजीकृत है ? (**केवल होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद हेतु** आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) **हॉ / नहीं**

17. **अधिमानी अर्हताएं –** आवेदित पद हेतु अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धित विवरण (यदि कोई हो) अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दें तथा सम्बन्धित बॉक्स में ✓ का निशान लगाये –

अ. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन ☐

ब. (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या ☐

(2) राष्ट्रीय सेवा योजन (एन0एस0एस0) का 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र, या ☐

(3) राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ☐

18. घोषणा

(1) मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं यह मुझे मान्य है और मै वह शर्तें पूरी करता / करती हूँ ।

(2) मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण / सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण / सूचना असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।

(3) मैं राज्य सरकार / भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ / नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक ....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

संलग्नकों की संख्या –

1. अंकों / शब्दों में ....
2. विवरण ....

अंगूठे का निशान

(पुरुष अभ्यर्थी बायें अंगूठे एवं महिला अभ्यर्थी दांये अंगूठे का निशान लगायें)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

दिनॉक : ....

स्थान : ....

Experience Certificate

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :...

Address of Deptt./Office :..

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : ....

Telephone No. :...

Website :...

Ref. No. - Dated : ....

This is certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri... is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company /Firm/Society/Institution/Trust.

Date : **Sign ....**

Place : **(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)**

Name & Signature of Candidate : **Designation with seal**